

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 1/2019 एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 23/2018-एकीकृत कर (दर), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित की गई जो सं. सा.का.नि. 744(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।